कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह, मुख्य चिकित्सापदाधिकारी, राँची।

भर्ती सूचना

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के अन्तर्गत संचालित एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के लिए निम्नवत् कुल 02 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाि ात किया जाता हैः–

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	आरक्षित कोटि
1	चिकित्सा पदाधिकारी	72000 ⁄ –	01	UR
2	डाटा प्रबंधक	21000 ⁄ –	01	UR

1) संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति संबंधित नियमावली एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर प्रकाि ात अधिसूचना का पालन किया जाएगा।
2) उपरोक्त पदो ंके लिए उम्र सीमा 45 वर्श होगी जिसकी गणना 31.12.2024 के आधार पर की जाएगी।
3) उपरोक्त कुल सभी 02 पदों की अर्हता यथा–योग्यता, अनुभव, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) एवं आवेदन फार्म के बारे मे विवरण वेबसाईट – http://recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।
4) विज्ञापन प्रका ान की तिथि से 21 दिनों की समयावधि तक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकृत किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
5) पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन माध्यम द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा किसी अन्य माध्यम से भेजें गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
6) उपरोक्त कुल सभी 02 पदों के लिए अप्रतिदेय (non refundable) आवेदन भाुल्क लागू है तथा ऑनलाईन भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य है। बिना आवेदन भाुल्क भुगतान किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे एवं वे रद्द किए जा सकते हैं।
7) आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग– I , अत्यंत पिछड़ा वर्ग – II के आवेदनों को 600 ⁄ – रूपये तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित ⁄ अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए 150 ⁄ – रूपये का आवेदन भाुल्क लागू है, साथ ही JAP&IT का भाुल्क रूपए 100 ⁄ – अनुमान्य है। दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रति ात संगत निः ाक्तता) को आवेदन भाुल्क में पूर्ण छुट अनुमान्य है।
8) इच्छुक अभ्यर्थी को वेबसाईट पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्णरूपेण भर कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
9) प्रारंभिक चयन (ॉर्टलिस्टिंग) अपेक्षित योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा और भौक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही अनुभव की गणना की जाएगी। भॉटलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख और समय उन्हें ईमेल ⁄ मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
10) साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गए दावों के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति मूल सहित, पिछले 3 महीने की वेतन पर्ची, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।
11) आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को देय होगा।

12) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देया नहीं होगा।

13) अभ्यर्थी को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा ओर परिवहन, रसद आदि का खर्च स्वयं ही उठाना होगा। साक्षात्कार में भाामिल होने के लिए कोई टीए०/डीए० देय नहीं होगा।

14) उम्मीदवार का अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत साक्षात्कार की श्रेणियों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

15) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्श (1) वर्श के लिए संविदा पर की जाएगी। एक वर्श के उपरांत संविदा अवधि में कये गये कार्य का मूल्यांकन संतोशप्रद पाए जाने पर ही संविदा अवधि में विस्तार किया जाएगा। सेवा असंतोशजनक पाए जाने पर 1 माह के नोटिस पर संविदा कार्य से मुक्त किया जा सकता है।

16) आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रविश्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

17) यदि किसी भी स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और इसके लिए विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

18) आव यकता पड़ने पर असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची को पूर्णतः या आंि ाक रूप से भर्ती को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे रद्द/स्थगन के मामले में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

19) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची का निर्णय अंतिम ओर अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार या व्यक्तिगत प्र नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

20) सभी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह,
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।